न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

फौजदारी प्रकरण सख्या 03/2015

सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, अजमेर

– प्रार्थी

ब ना म

श्री बादर पुत्र श्री अमी, जाति मेहरात, निवासी ग्राम रूदलाई, पुलिस थाना मांगलियावास, जिला अजमेर

– गैरसायल

अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश कुमार बुडानिया, सहायक अभियोजन अधिकारी अजमेर
2. श्री नरपतसिंह राठौड़, वकील गैरसायल की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक–06.06.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर द्वारा एक इस्तगासा पुलिस अधीक्षक अजमेर के माध्यम से जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, अजमेर के श्री बादर पुत्र श्री अमी, जाति मेहरात, निवासी ग्राम रूदलाई, पुलिस थाना जिला अजमेर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 का दिनांक 28.08.2015 को इस आशय का पेश किया कि गैरसायल हथकढी शराब की तस्करी करने का आदी है। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना मांगलियावास में मुकदमा नम्बर 202/2007 दिनांक 16.11.2007, मुकदमा नम्बर 17/2009 दिनांक 08.02.2009, मुकदमा नम्बर 132/2009 दिनांक 19.10.2009, मुकदमा नम्बर 144/2010 दिनाक 06.10.2011, मुकदका नंबर 09/2013 दिनांक दर्ज हुये है। ऐसे व्यक्ति न केवल परिवार एवं समाज के लिए अपितु राज्य के लिए खतरनाक एवं संकट उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति की निगरानी एवं नियंत्रण रखा जाना अपिरहार्य है ताकि क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं गुण्डा तत्वों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही हो सकें। इस प्रकार गैरसायल द्वारा धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 में परिभाषित धारा ''ख'' (2) की उपधारा 3 के अधीन इस्तगासा प्रस्तुत कर गैरसायल को अजमेर जिले से निष्काषित करने की प्रार्थना की गई है।

गैरसायल के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 का बनना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया

अपर कलक्टर एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

गया व गैरसायल को प्रपत्र–1 में नोटिस जारी किया गया कि वे न्यायालय में उपस्थित होकर अपने आरोपों के बारे में लिखित स्पष्टीकरण पेश करें व वजह जाहिर करे कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत उनके विरूद्ध आदेश क्यों नहीं दिया जावें।

गैरसायल जरिये वकील उपस्थित हुये। उन्होंने जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल की ओर से वकील गैर सायल द्वारा उनके बयान दर्ज नहीं करवाने पर शहादत बन्द की जाने के पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। दोनो पक्षकारों की शहादत बन्द होने पर बहस सुनी गई व रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान कथन किया कि दस्तावेजी सबूत से बखूबी साबित होता है कि गैरसायल हथकढी शराब की तस्करी करने का आदी है। ए.पी.ओ. ने बहस के दौरान कथन किया कि गैरसायल को वर्ष 2007, 2009 व 2010 मे 4 बार राजस्थान आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डित किया जा चुका है एवं वर्ष 2013 व 2015 में धारा 110 जा.फौ. के अन्तर्गत पाबन्द किया गया है। गैरसायल वर्तमान में भी अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है तथा आपराधिक गतिविधियों का आदी होने से समाज में भय व्याप्त है तथा कोई भी व्यक्ति भयवश गैर सायल के विरूद्ध रिपोर्ट नहीं करता है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि गैरसायल को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 के तहत अजमेर जिले से निष्कासित किया जावें।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील गैरसायल का कथन है कि उन पर लगाये गये समस्त आरोप बिल्कुल निराधार है। उन्होने कथन किया कि गैरसायल को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध वर्ष 2008–2009 के बाद किसी भी थाने में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। पूर्व में भी केवल आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किये गये थे जिसमें कोई संगीन अपराध कारित नहीं किया गया है। अन्त में उनका कथन है कि गैरसायल गत 10 वर्षों से कृषि कार्य करके शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है व किसी भी अपराध में लिप्त नहीं है। अतः गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम, 1975 की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः गैर सायल के विरूद्ध उक्त नियम के तहत कार्यवाही निरस्त कर उन्हें दोष मुक्त किया जावें।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। इस्तगासा पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि गैर सायल वर्तमान में भी अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है। इसके अतिरिक्त गैर सायल के विरूद्ध पुलिस थाना मांगलियावास में 4 प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान आबकारी अधिनियम के दर्ज हुये है जिनमें गैर सायल को दण्डित किया गया है। गैर सायल द्वारा किये गये अपराध गंभीर प्रवृत्ति के नहीं है तथा वर्ष 2015 के पश्चात् उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा न ही कोई शिकायत अथवा मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को जिला बदर जैसे कठोर दण्ड से दण्डित करना हम उचित नहीं समझते है। चूंकि पूर्व में उन्हें राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 4 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषी करार देकर दण्डित किया गया है एवं

अपर कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

धारा 110 जा0फौ0 के अन्तर्गत पाबन्द किया गया है। ऐसी स्थिति में गैर सायल की गतिविधियों पर नजर रखा जाना आवश्यक है।

अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल श्री बादर पुत्र श्री अमी, जाति मेहरात, निवासी ग्राम रूदलाई, पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर को आदेश दिये जाते है कि वे आदेश की तारीख से 5 दिवस की अवधि के लिये सोमवार एवं शुक्रवार को थानाधिकारी, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवावें। गैर सायल को यदि जिले से बाहर जाना हो तो थानाधिकारी, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। यदि 5 दिवस की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 2 (बी) में वर्णित प्रावधानानुसार अपराधिक मुकदमें दर्ज हो तो थानाधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावें। आदेश की प्रति गैर सायल को दी जावें तथा जिला मजिस्ट्रेट अजमेर, पुलिस अधीक्षक अजमेर तथा थानाधिकारी पुलिस थाना मांगलियावास व रामगंज अजमेर को प्रति भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर

क्रमांक/सरिस्ता/अपर/18/ 1814-18 दिनांक :– 6.6.18

प्रतिलिपी :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
2. जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर
3. थानाधिकारी, पुलिस थाना किशनगढ
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर।
5. श्री बादर पुत्र श्री अमी, जाति मेहरात, निवासी ग्राम रूदलाई, पुलिस थाना मांगलियावास, जिला अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,अजमेर

Scanned by CamScanner